राजस्थान सरकार
कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2021—2022

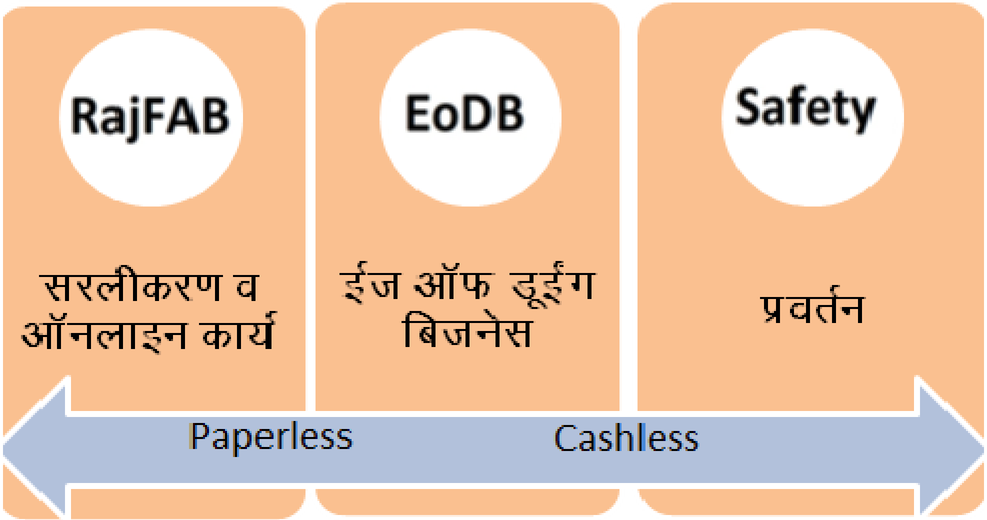

कार्यालय

मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स, राजस्थान

6—सी, सुरक्षा भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर—302004

फोन : 0141—2709659, 2709616, 2709897, 2710589, 2707319

फैक्स : 0141—2709659

E-mail:rajfab@rajasthan.gov.in

Website: www.rajfab.nic.in

RajFAB Web Application: www.rajfab.rajasthan.gov.in

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
2021– 2022

विभाग का मुख्य कार्य कारखाना अधिनियम, 1948, बॉयलर अधिनियम, 1923, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के प्रावधानों के तहत राज्य में स्थित कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के तहत कार्यरत श्रमिकों के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों की पालना करवाना है। इन नियमों के परिपालन द्वारा मुख्य रूप से औद्योगिक श्रमिकों को सुरक्षित कार्यस्थिति एवं कल्याणकारी सुविधाऐं उपलब्ध कराना एवं कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के कार्य घण्टे, सुरक्षा, स्वास्थ्य, वेतन आदि को विनियमित करना है। इसके अलावा इस विभाग द्वारा कानूनी प्रावधानों की अनुपालना में कारखाना मालिकों एवं कामगारों को तकनीकी सूचनायें उपलब्ध कराई जाती है एवं सामयिक सलाह भी दी जाती है। आवश्यकता होने पर राज्य सरकार को नियमों में संशोधन के सुझाव दिये जाते है।

राज्य में स्थापित होने वाले नये उद्योगों को कारखाना अधिनियम, 1948 बॉयलर अधिनियम, 1923 एवं इनके अंतर्गत बने नियमों के संबंध में पूर्ण वर्गीकृत व सुव्यवस्थित जानकारी देने हेतु विभागीय वेबसाइट www.rajfab.nic.in तथा आवेदन करने हेतु RajFAB web application www.rajfab.rajasthan.gov.in प्रकाशित की हुई है ताकि विभाग द्वारा जारी की जाने वाली स्वीकृतियॉं, अनुज्ञा–पत्रों, प्रमाण–पत्रों आदि प्राप्त करने में उद्यमियों को समुचित मार्गदर्शन मिल सके तथा स्वीकृतियॉं, अनुज्ञा पत्र एवं प्रमाण पत्र त्वरित गति से प्राप्त हो सके।

उद्यमियों की सुविधा हेतु विभाग द्वारा कारखाना लाईसेंस का Auto Renewal किया जा रहा है एवं विभाग के कार्य को विकेन्द्रित किया हुआ है जिसके अन्तर्गत 150 श्रमिकों तक नियोजित करने वाले गैर जोखिमपूर्ण कारखानों के कारखाना भवन के नक्शे अनुमोदन एवं कारखानों के लाईसेंस संशोधन संबंधित कार्य उप मुख्य निरीक्षक के क्षेत्रीय कार्यालयों – जयपुर, जोधपुर, अलवर, कोटा, उदयपुर एवं भीलवाड़ा द्वारा किया जा रहा है।

1. विभाग का संगठनात्मक ढ़ॉचा

कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के विभागाध्यक्ष मुख्य निरीक्षक है। विभाग द्वारा श्रमिकों के हितों के लिये कारखाना प्रबन्धन से कारखाना अधिनियम, 1948, बॉयलर अधिनियम, 1923, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के प्रावधानों तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों की पालना कराई जाती है। इस विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 210 पद सृजित है। **परिशिष्ठ–1**

जयपुर स्थित मुख्यालय पर मुख्य निरीक्षक के अधीन एक पद उपमुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स, एक पद उप मुख्य निरीक्षक कारखाना (रसायन), तीन पद वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स व एक पद निरीक्षक कारखाना (मेडिकल) का है। एक–एक पद वरिष्ठ विधि अधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, प्रोग्रामर, सांख्यिकी अधिकारी व निजी सचिव का स्वीकृत है।

विभाग में औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला और सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र मुख्यालय परिसर में स्थापित है जो क्रमशः वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना (रसायन) एवं उप निदेशक के अधीन संचालित हैं।

श्रमिकों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही शीघ्र निस्तारण हो सके इस हेतु राज्य में **21** स्थानों पर विभाग के कार्यालय स्थापित हैं। राज्य के जयपुर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर, कोटा एवं भीलवाड़ा मुख्यालयों पर उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स के कार्यालय स्थापित है। इसी प्रकार अजमेर, पाली, श्रीगंगानगर, भिवाड़ी, चित्तौडगढ़, बीकानेर, बांसवाड़ा एवं मदनगंज–किशनगढ़ में वरिष्ठ निरीक्षक एवं बून्दी, भरतपुर, सीकर, हनुमानगढ़, बालोतरा, मकराना एवं सिरोही में निरीक्षक कारखाना एव बायलर्स के कार्यालय संचालित है।

मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना का विवरण **परिशिष्ठ–2** में दर्शाया गया है।

कारखानों मे जोखिमपूर्ण रसायनों से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिये कारखानों का निरीक्षण एवं कारखाना प्रबन्धन को आवश्यक मार्गदर्शन करने हेतु

विभाग में एक उप मुख्य निरीक्षक (रसायन) जो कि रसायनिक अभियांत्रिकी की योग्यता प्राप्त है, जयपुर (मुख्यालय) पर व एक वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना (रसायन) औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर एवं एक निरीक्षक कारखाना (रसायन) कोटा में पद सृजित हैं। श्रमिकों के स्वास्थ्य जॉच एवं व्यवसायजनित बीमारियों पर निगरानी हेतु एक निरीक्षक कारखाना (मेडिकल) का पद जयपुर मुख्यालय पर सृजित है।

विभाग के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ एवं प्रभावशाली रखने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को मुख्यालय के अधीन रखा गया है। सभी क्षेत्रीय अधिकारी अपने अधीन क्षेत्रों में कार्यों के नियन्त्रण सम्बन्धी अधिकार एव दायित्व निर्वहन के लिये प्राधिकृत हैं।

विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियॉ

श्रम कानूनों की पालना

विभाग का मुख्य कार्य कारखाना अधिनियम, 1948, बॉयलर अधिनियम, 1923 एवं वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 एवं भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के सुरक्षा संबंधी प्रावधानों की तथा कारखानों में नियोजित श्रमिको के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण के लिये अनुपालना करवाना है।

विभाग द्वारा नये स्थापित होने वाले कारखानों का पंजीकरण किया जाता है तथा पंजीकृत निर्माणियों को प्रतिवर्ष अनुज्ञा–पत्र नवीनीकरण करवाना आवश्यक होता है। कारखाना अधिनियम के अर्न्तगत उद्यमी यदि चाहे तो लाईसेंस का दस वर्ष तक के लिये एक साथ नवीनीकरण करवा सकता है। राज्य में वर्ष 2021 (दिसम्बर तक) में **600** नये कारखानों का पंजीकरण किया गया है। इन कारखानों में लगभग **51084** श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। राज्य में कुल **12385** पंजीकृत कारखाने कार्यरत हैं, जिनमें लगभग **705548** श्रमिक नियोजित हैं। **परिशिष्ठ–3**

राज्य में संस्थापित कारखानों एवं बॉयलर्स की सुरक्षा को प्रमुखता देते हुये विभाग के अधिकारियों द्वारा इनका समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है। विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत वर्ष 2021 (दिसम्बर तक) **3894** कारखानों के निरीक्षण किये गये।

वर्ष 2021 (दिसम्बर तक) में कारखाना अधिनियम एवं उसके तहत बने नियमों के उल्लंघन स्वरूप **22** कारखाना प्रबन्धनों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किये गये। पूर्व के वर्षों के विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों में से **7** प्रकरण निर्णित हुए, जिनमें विभिन्न न्यायालयों द्वारा रूपये **6,55,000/–** का जुर्माना किया गया।

राज्य में स्थापित प्रमुख दुर्घटना जोखिम कारखानों में काम आने वाले रसायनों के भण्डारण, प्रयोग तथा इनकी निर्माण प्रक्रियाओं से प्रमुख दुर्घटनाएं जैसे आग, विस्फोट एवं विषैली गैस रिसाव आदि हो सकती है। ऐसी सम्भावित दुर्घटनाओं को रोकने हेतु विभाग द्वारा इन कारखाना प्रबंधकों से आपात योजना तैयार करवाई जाती है, जिससे कारखाना परिसर एवं परिसर के बाहर होने वाले असर को नियंत्रित किया जा सके। कारखाना प्रबंधन द्वारा इन आपात योजनाओं का समय – समय पर अभ्यास कराया जाता है, जिससे कि संकट के समय कारखाना प्रबंधकों द्वारा प्रस्तावित सुरक्षा उपायों को किस प्रकार प्रयोग में लिया जावेगा, सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार के कारखानों का समय–समय पर निरीक्षण किया जाकर सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जाती है।

बॉयलर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों की अनुपालनार्थ राज्य में लगने वाले सभी बॉयलरों का पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होता है। राज्य में वर्तमान में **2112** पंजीकृत बॉयलर कार्यरत हैं। वर्ष 2021 में (दिसम्बर तक) **145** नये बॉयलरों का पंजीकरण किया गया है। बॉयलर्स के सुरक्षित उपयोग के उद्धेश्य से सभी बॉयलरों का विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण किया जाता है।

सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र

औद्योगिक श्रमिकों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभाग द्वारा जयपुर में सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है, जिसमें कारखानों में कार्यरत कर्मकारों, सुपरवाइजरों, सुरक्षा अधिकारियों, प्रबन्धकों, मालिकों एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पॉलिटेक्नीक महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों को औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है। विभाग नवीनतम श्रव्य–दृश्य उपकरणों की सहायता से नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

सुरक्षा संग्रहालय में सुरक्षा सम्बन्धी मॉडल एवं पोस्टर प्रदर्शित किये हुये हैं। उक्त संग्रहालय में पुस्तकालय की भी स्थापना की हुई है, जिसमें सुरक्षा सम्बन्धी तकनीक की पुस्तकों का संकलन है।

सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा जयपुर में एवं अन्य औ़द्योगिक महत्व के स्थानों पर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं संगोष्ठियॉ आयोजित कर औद्योगिक सुरक्षा पर जानकारी दी जाती है।

वर्ष 2021 (दिसम्बर तक) सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा **102** सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं संगोष्ठियॉ आयोजित की गई, जिनमें **2525** प्रशिक्षाणार्थी लाभान्वित हुये।

विभाग द्वारा सिलिकोसिस बीमारी के सम्बंध में जागरूकता हेतु **46** कैम्प आयोजित किये गये, जिनमे **1462** प्रशिक्षाणार्थी लाभान्वित हुये एवं हजार्डस एवं ई–वेस्ट हैण्डलिंग करने वाले कारखानों के प्रबन्धन व श्रमिकों के लिए **27** वर्कशॉप आयोजित की गई जिसमें **781** कारखाना प्रतिनिधि/श्रमिकों को सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया।

औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला

राज्य में संस्थापित उद्योगों में कार्य स्थल पर स्वच्छ एवं स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य में व्यवसायजनित बीमारियों की रोक–थाम हेतु विभाग में औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला की स्थापना की हुई है। इस प्रयोगशाला के माध्यम से राज्य में विभिन्न कारखानों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायनों से श्रमिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रोकने हेतु कार्यवातावरण का अध्ययन किया जाता है।

औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला द्वारा राज्य में स्थित विभिन्न रसायनिक कारखानों में रसायनों के दुष्प्रभावों को रोकने हेतु वर्ष 2021 (दिसम्बर तक) में **208** कारखानों से **983** वायुगर्भित प्रदूषकों के नमूने एकत्रित किये गये एवं विश्लेषण किया गया तथा जिन वायुगर्भित प्रदूषकों के नमूनो को निर्धारित मापदण्ड से अधिक प्रदूषित पाया गया उन प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए कारखाना प्रबन्धकों को सुझाव दिये गये तथा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार करवाया गया।

————————

विभागीय आय

कारखाना अधिनियम एवं बॉयलर अधिनियम के अन्तर्गत कारखानों के पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क व बॉयलर के पंजीयन एवं निरीक्षण शुल्क से गत पॉच वर्षो में विभाग में हुई आय का विवरण :–

कारखाना अधिनियम, 1948 एवं बॉयलर अधिनियम, 1923 के तहत आय	
वर्ष	(रूपये लाखों में)
2017–2018	882.07
2018–2019	1649.63
2019–2020	1594.72
2020–2021	1707.71
2021–2022 (दिसम्बर, 2021 तक)	835.10 (अनुमानित)

वित्तीय प्रबन्धन

विभागीय बजट प्रावधान एवं व्यय का विवरण		
मद 2021–2022	बजट प्रावधान BE 2021–2022 (लाखों में)	व्यय दिसम्बर, 2021 तक (लाखों में)
स्टेट फण्ड (स्कीम)	63.11	63.11
स्टेट फण्ड (नॉन स्कीम)	1224.55	1051.18

परिशिष्ठ–1

स्वीकृत पद (कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर)

क्र.सं.	पदनाम	मुख्यालय, जयपुर	कार्यालय उप मुख्य निरीक्षक							कार्यालय वरिष्ठ निरीक्षक									कार्यालय निरीक्षक							योग
			जयपुर रीजन	भीलवाड़ा	अलवर	जोधपुर	कोटा	उदयपुर	उप निदे.स्वा. स. एव प्र.के.	किशनगढ़	अजमेर	पाली	श्रीगंगानगर	भिवाड़ी	औ.स्वा. प्रयोगशाला	चित्तौड़गढ़	बीकानेर	बांसवाड़ा	बूंदी	भरतपुर	सीकर	हनुमानगढ़	बालोतरा	मकराना	सिरोही	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	मुख्य निरीक्षक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	उप मुख्य निरीक्षक	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
3	उप मुख्य निरीक्षक (रसायन)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	वरिष्ठ निरीक्षक	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12
5	वरिष्ठ निरीक्षक (रसायन)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	उप निदेशक	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7	निजी सचिव	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	सहायक निदेशक	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	निरीक्षक	0	3	1	1	2	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	19
10	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	सहायक लेखाधिकारी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	निरीक्षक (रसायन)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	निरीक्षक (मेडिकल)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15.	अतिरिक्त निजी सचिव	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	निजी सहायक	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
17	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	अति. प्रशासनिक अधिकारी	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
19	सहा.प्रशासनिक अधिकारी	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13
20	आशु लिपिक	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
21	वरिष्ठ सहायक	9	2	0	0	1	1	0	1	1	2	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	25
22	कनिष्ठ सहायक	9	2	2	2	2	2	2	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	2	1	2	37
23	रिकार्ड कीपर कम लाइब्रेरियन	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
24	मुख्य प्रारुपकार	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहा.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
26	प्रयोगशाला सहायक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
27	लेखाकार	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
28	कनिष्ठ लेखाकार	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
29	सहा. सां. अधिकारी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30	सांख्यिकी निरीक्षक'	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
31	प्रोग्रामर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
32	सूचना सहायक	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
33	वाहन चालक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
34	जमादार	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
35	च.श्र.क./बॉयलर हैल्पर	14	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39
36	बागवान	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	योग	68	14	8	8	10	10	10	6	4	8	6	6	6	7	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	210

कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग की संरचना

मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स

उप मुख्य निरीक्षक (मुख्या.)	उप मुख्य निरीक्षक (रसायन)	3 वरिष्ठ निरीक्षक	निरीक्षक (मेडिकल)	वरिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सहायक लेखा अधिकारी	निजी सचिव	प्रोग्रामर	सहायक सांख्यिकी अधिकारी

प्रदेश में स्थित कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के कार्यालय

क0सं0	कार्यालयाध्यक्ष	मुख्यालय
1	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	कोटा
2	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	जोधपुर
3	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	उदयपुर
4	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	अलवर
5	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	जयपुर
6	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	भीलवाड़ा
7	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	बीकानेर
8	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	श्रीगंगानगर
9	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	किशनगढ़
10	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	अजमेर
11	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	पाली
12	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	भिवाड़ी
13	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	चित्तौड़गढ़
14	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	बांसवाड़ा
15	निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	भरतपुर
16	निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	बूंदी
17	निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	बालोतरा
18	निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	सिरोही
19	निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	मकराना
20	निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	हनुमानगढ़
21	निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	सीकर
22	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना(रसायन), (औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला)	जयपुर
23	उप निदेशक (सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र)	जयपुर

जिलेवार पंजीकृत कारखानें एवं उनमें औसतन नियोजित श्रमिकों की संख्या का विवरण

क्र0सं0	जिले का नाम	पंजीकृत कार्यरत कारखानें एवं दैनिक औसतन नियोजित श्रमिकों की संख्या	
		कुल कारखाने	औसतन नियोजित श्रमिक
1	अजमेर	786	28269
2	अलवर	1881	176817
3	बांसवाड़ा	61	9996
4	बारां	22	4936
5	बाड़मेर	169	9183
6	भरतपुर	187	6245
7	भीलवाड़ा	701	54415
8	बीकानेर	374	13205
9	बून्दी	130	3951
10	चित्तौड़गढ़	209	24480
11	चूरू	101	1590
12	दौसा	60	949
13	धौलपुर	58	2802
14	डूंगरपुर	24	2180
15	हनुमानगढ़	723	24283
16	जयपुर	2822	163509
17	जैसलमेर	30	2211
18	जालौर	56	1007
19	झालावाड़	75	5780
20	झुन्झुनू	84	5136
21	जोधपुर	963	41919
22	करौली	13	137
23	कोटा	339	21109
24	नागौर	189	5685
25	पाली	433	22058
26	प्रतापगढ़	9	117
27	राजसमंद	136	4389
28	सवाईमाधोपुर	36	704
29	सीकर	214	8343
30	सिरोही	147	8116
31	श्रीगंगानगर	700	25013
32	टोंक	86	3757
33	उदयपुर	567	23257
	योग	**12385**	**705548**

विभाग में स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण (31 दिसम्बर, 2021)

क.सं0	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी	रिक्त पदों की संख्या
1	मुख्य निरीक्षक	1	1	—
2	उप मुख्य निरीक्षक	7	6	1
3	उप मुख्य निरीक्षक (रसायन)	1	1	—
4	वरिष्ठ निरीक्षक	12	6	6
5	वरिष्ठ निरीक्षक (रसायन)	1	—	1
6	निरीक्षक	19	16	3
7	निरीक्षक (रसायन)	1	1	—
8	निरीक्षक (मेडिकल)	1	1	—
9	उपनिदेशक	2	1	1
10	सहायक निदेशक	1	1	—
11	निजी सचिव	1	—	1
12	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	1	—
13	सहायक लेखाधिकारी	1	1	—
14	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	—	1
15	अतिरिक्त निजी सचिव	1	1	—
16	प्रशासनिक अधिकारी	1	—	1
17	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	8	8	—
18	मुख्य प्रारूपकार	1	—	1
19	निजी सहायक	2	—	2
20	आशु लिपिक	8	1	7
21	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	13	13	—
22	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	1	—
23	सांख्यिकी निरीक्षक	3	3	—
24	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	1	1	—
25	प्रयोगशाला सहायक	1	1	—
26	लेखाकार	2	2	—
27	कनिष्ठ लेखाकार	2	2	—
28	वरिष्ठ सहायक	25	21	4
29	कनिष्ठ सहायक	37	25	12
30	रिकार्ड कीपर लाइब्रेरियन	1	—	1
31	प्रोग्रामर	1	1	—
32	सूचना सहायक	8	8	—
33	वाहन चालक	1	—	1
34	जमादार	3	—	3
35	चतुर्थ श्रेणी/बायलर हैल्पर	39	25	14
36	बागवान	1	1	—
	योग	**210**	**150**	**60**

विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलोच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत तीन वर्ष से तुलना

क्र.सं.	विभागीय उपलब्धियॉ		गत सरकार के गत तीन वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियॉ			वर्तमान सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियॉ		
			वर्ष–2016	वर्ष–2017	वर्ष–2018	वर्ष–2019	वर्ष –2020	वर्ष – 2021 (दिसम्बर, 2021 तक)
1	नये पंजीकृत कारखाने		330	405	388	510	634	600
2	कारखानों में नियोजित श्रमिकों की संख्या		19902	20789	22171	27653	41153	51084
3	कारखानों के निरीक्षण		5730	3943	4138	3774	3841	33502
4	नये पंजीकृत बॉयलर		152	145	138	120	113	145
5	कारखानों से प्राप्त किये गये वायुगर्भित प्रदुषकों के नमूने	कारखानों की संख्या	178	176	199	218	177	208
		नमूने	1234	1313	1416	1236	1079	983
6	सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण कार्यक्रम	37	37	40	55	52	102
		प्रशिक्षणार्थी	599	447	892	1816	1418	2525
7	सिलिकोसिस से बचाव हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण कार्यक्रम	14	04	05	7	12	46
		प्रशिक्षणार्थी	1189	237	335	759	296	1462
8	हजार्डस एवं ई–वेस्ट हैण्डलिंग से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण कार्यक्रम	–	–	–	–	34	27
		प्रशिक्षणार्थी	–	–	–	–	1274	781

आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियॉ

राज्य सरकार द्वारा विभाग से सम्बन्धित निम्न नवीन नीतिगत निर्णय लिये गये हैं जिनकी विभाग द्वारा निम्नानुसार क्रियान्विति की गयी है:–

क्रम सं.	नीतिगत निर्णय	क्रियान्विति की वर्तमान स्थिति
1	विभागीय कार्य को ऑनलाइन करना।	नवीनतम Business Reform Action Plan के अनुसार Ease of Doing Business हेतु कारखानों एवं बायलरों के पंजीकरण, नवीनीकरण एवं नक्शे अनुमोदन तथा अन्य विभागीय कार्य को ऑन लाईन सरलीकृत प्रकार से किये जाने के लिये वेब एप्लीकेशन RajFAB लागू कर दी गयी है। विभाग द्वारा कारखानों व बॉयलरों के पंजीकरण, नवीनीकरण व नक्शे अनुमोदन का कार्य, बॉयलर अटेण्डेन्ट परीक्षा आदि कार्य ऑनलाइन ही किये जा रहे है तथा कोई भी आवेदन डाक अथवा पत्रवाहक से स्वीकार नहीं किये जा रहे है। कारखाना लाईसेंस के Auto Renewal की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। विभाग की सेवाओं का ई मित्र पोर्टल से इंटीग्रेशन कर दिया गया है। कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग, श्रम विभाग तथा RPCB के साथ केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली (Central Inspection System) के माध्यम से सिंगल विन्डो क्लियरेन्स सिस्टम (SWCS) पर आवंटित करने की प्रणाली लागू कर दी गई है। (**परिशिष्ठ–4**)
2	विभागीय कार्यो की समय सीमा निर्धारण ।	विभाग द्वारा किये जा रहे पंजीयन, नवीनीकरण, नक्शे अनुमोदन के कार्यों को समयबद्ध किये जाने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गयी है।
3.	राज्य सरकार की One Stop Shop सेवा	राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहान देने हेतु राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना **“One Stop shop Scheme”** के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा एक वरिष्ठ विभागीय अधिकारी द्वारा आवंटित कार्यो के निस्तारण हेतु अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

ऑन–लाइन वेब एप्लीकेशन

परिशिष्ठ–4

RajFAB (www.rajfab.rajasthan.gov.in)

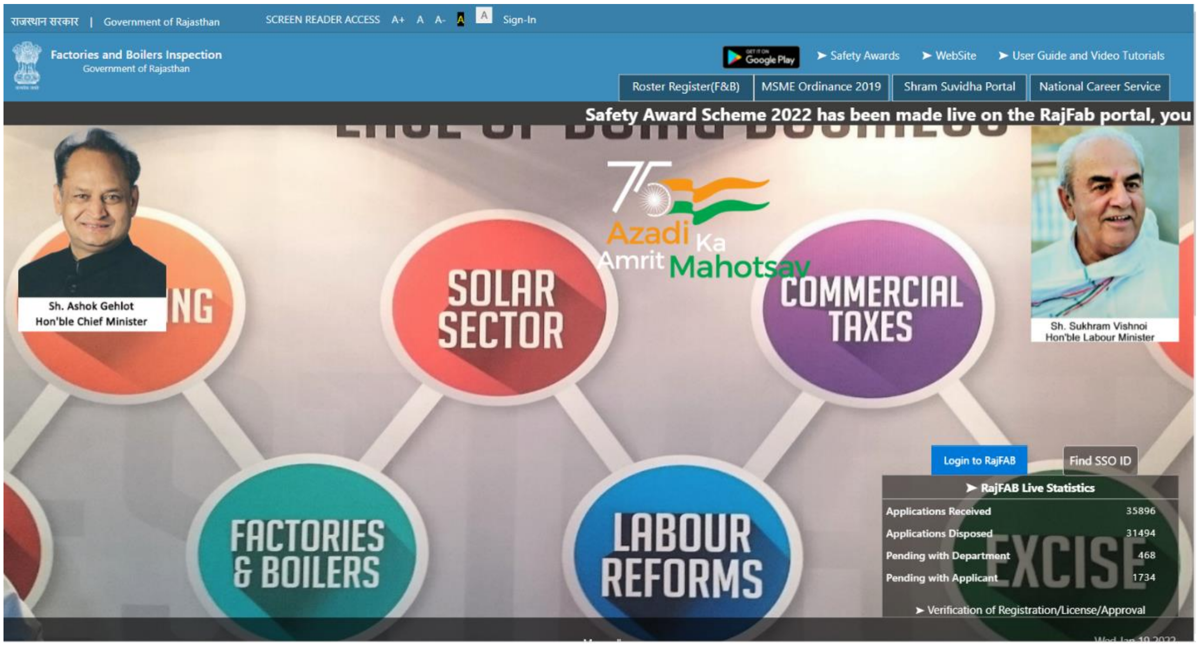

विभागीय कार्य को समयबद्ध, पारदर्शिता एवं सरलीकृत तरीके से किये जाने के लिए एक विस्तृत वेब एप्लीकेशन **RajFAB** बनाई गई है जो की **rajfab.rajasthan.gov.in** पते पर स्थापित है।

विगत एक वर्ष में सम्पादित प्रमुख कार्य एवं नवाचार

कारखानों का पंजीयन

- विभाग द्वारा 600 नये कारखानों का पंजीयन किया गया है।

सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र

- कारखानों में कार्यरत श्रमिकों में सुरक्षा के प्रति जागरुकता लाने हेतु विभाग के सुरक्षा संग्रहालय एंव प्रशिक्षण केन्द्र का नई तकनीक के आधार पर स्वचालित मोडल/कम्प्यूटर प्रशिक्षण कियोस्क व आडियो–वीडियो माध्यम से प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र का पुनरोद्धार किया गया है।
- प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा **102 कार्यक्रमों में 2525** प्रशिक्षार्थीयों को प्रशिक्षण दिया जाकर लाभान्वित किया है। उद्योगों को सुरक्षा में प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध करवाने हेतु अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पॉलिटेक्नीक महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों को सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

विभागीय वेबसाइट www.rajfab.nic.in

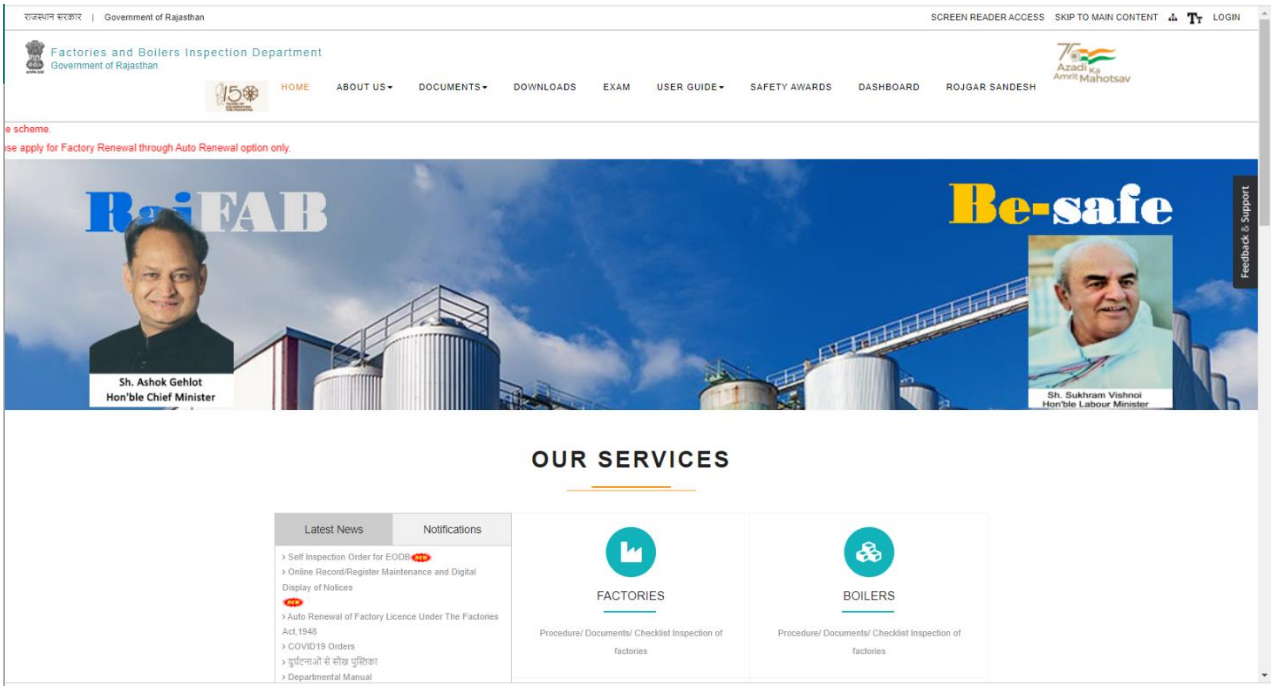

BRAP में EoDB की शत प्रतिशत पालना

- **Business Reform Action Plan, 2020** की गाईडलाइन्स के अनुसार विभाग से सम्बधित सभी बिन्दुओं की शत प्रतिशत अनुपालना की गई है।

Auto Renewal of Factory License

- उद्यमियों की सुविधा हेतु विभाग द्वारा **EODB** के तहत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को 2% अतिरिक्त कर्ज (Rs. 2731 करोड़) लेने की अनुमति प्रदान करने की शर्तो के अन्तर्गत कारखानों के लाइसेंस के लिये **Auto renewal** की सुविधा विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिसमें बिना विभागीय हस्तक्षेप के स्वयं द्वारा ही नवीनीकृत कारखाना लाइसेन्स प्राप्त किया जा सकता है। दिसम्बर, 2021 तक **2136** कारखानों के लाइसेंस का Auto renewal किया जा चुका हैं।

One Stop Shop Scheme

- राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहान देने हेतु राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना **"One Stop shop Scheme"** के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा पहल कर एक वरिष्ठ विभागीय अधिकारी की उद्योग विभाग में प्रत्येक सोमवार एवं गुरूवार को अपनी उपस्थिति एवं आवंटित कार्यो के निस्तारण हेतु अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

- **“One Stop Shop Scheme”** के तहत कारखाना एवं बायलर्स से संबंधित प्राप्त आवेदनो के अनुमोदन आदि कार्यो का उक्त अधिकारी द्वारा अन्य विभागों के सहयोग से निस्तारण किया जायेगा, जिससे उद्यमियों को पृथक–पृथक विभागों में अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।

विभाग की सर्विसेज की ई मित्र पोर्टल पर उपलब्धता

विभाग की निम्न नागरिक सेवाओं का ई मित्र पोर्टल से इंटीग्रेशन कर दिया गया है। इन सेवाओ को ई मित्र पोर्टल पर उपलब्ध होने से प्रत्येक नागरिक को विभाग से सम्बन्धित कोई भी कार्य करने में आसान तरीके से सुविधा उपलब्ध है।

- कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कारखाना भवन के नक्शे स्वीकृति एवं अनुमोदन
- कारखानों का पंजीयन
- कारखाना लाइसेन्स का नवीनीकरण
- कारखानों का निरीक्षण
- बॉलयर का निरीक्षण एवं नवीनीकरण
- बॉयलर का निरीक्षण एवं पंजीयन
- भारतीय बॉयलर विनियमन,1950 के तहत बॉयलर निर्माता, बॉयलर विनिर्माण और मरम्मत, मरम्मतकर्ता/ईरेक्टर, वेल्डर और विभिन्न गतिविधियों के लिए स्वीकृति/अनुमोदन।
- कारखाना अधिनियम व नियम के तहत प्रशिक्षण संस्थान का अनुमोदन और राजफैब वेब पोर्टल के माध्यम से पेपरलेस सेवाओं के तहत अन्य अनुमोदन।

विभागीय कार्यो का समय सीमा में निस्तारण

- विभाग द्वारा कारखानों के पंजीयन, नवीनीकरण एवं बॉयलर के पंजीयन, नवीनीकरण व स्टीम पाईपलाइन कारखानों के नक्शे अनुमोदन का कार्य ऑनलाईन किया जा रहा है। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, 2011 की अनुपालना में उक्त समस्त कार्य समय सीमा में निस्तारित किये जा रहे हैं।

नये उद्योगों को प्रोत्साहन देन में सहयोग

- राज्य सरकार द्वारा नये सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को प्रोत्साहन के लिये RMSME Act, 2019 जारी किया गया। जिसकी पालना में विभाग द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत acknowledgement certificate प्राप्त करने वाले नये उद्योगों को तीन वर्ष तक कारखाना एवं बायलर्स के निरीक्षण व अनुमोदन से छूट प्रदान कर दी गई है।

कारखाना सुरक्षा पुरस्कारों का वितरण

- 4 मार्च, 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का राज्य स्तरीय समारोह माननीय श्रम राज्य मंत्री श्री टीकाराम जी जूली की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जिसमें राज्य के लगभग **239** कारखाना प्रतिनिधियों ने भाग लिया

एवं कार्यक्रम के दौरान कारखाना सुरक्षा पुरस्कारों का वितरण एवं **"सुरक्षा की सीढी चढनी है एवं दुर्घटना की सीढी तोड़ना है"** पोस्टर का विमोचन किया गया ।

हजार्डस वेस्ट एवं ई–वेस्ट हेण्डलिंग करने वाले श्रमिकों का पंजीकरण

- विभाग द्वारा Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 एवं E-Wastes Management Rules, 2016 के नियम क्रमशः 5(2) एवं 12(2) की अनुपालना में श्रमिकों के पंजीयन हेतु राजफैब वेब एप्लीकेशन पर मोडयूल उपलब्ध है, जिस पर दिसम्बर, 2021 तक Hazardous Wastes Handling से संबंधित **747** संस्थानों द्वारा **3491** श्रमिकों का एवं E-Wastes Handling से संबंधित **23** संस्थानों द्वारा **79** श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है।

हजार्डस वेस्ट/ई वेस्ट हेण्डलिंग करने वाले श्रमिकों की स्वास्थ्य जॉच एवं सुरक्षा प्रशिक्षण

- विभाग द्वारा Hazardous Wastes Handling एवं E-Wastes Handling करने वाले कारखानों के प्रबन्धन व श्रमिकों की वर्कशॉप आयोजित की गई जिसमें **781** कारखाना प्रतिनिधि/श्रमिकों को सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया एवं **750** श्रमिकों का स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया है ।

Feedback Mechanism

- विभाग द्वारा राजफैब वेब एप्लीकेशन के माध्यम से प्रदान की जा रही ऑनलाइन सेवा पर end user Feedback Mechanism लागू किया गया है। जिसमें कारखाना एवं बॉयलर्स के पंजीयन एवं नवीनीकरण आदि सेवाओं में आवेदन का समय सीमा में निस्तारण, Customer Support व विभाग के साथ Interaction आदि पर निम्नलिखित श्रेणियों में प्रतिक्रिया एकत्रित की जाती है:–

1. Excellent	2. Very Good
3. Good	4. Not Happy

- दिनांक 31.12.2021 तक प्राप्त Feedback निम्नानुसार है:–

Excellent 7657	Very Good 970
Good 1003	Not Happy 172

- उपरोक्त 98.25% से अधिक नागरिक विभाग की सेवाओं के खुश है।
- केवल 1.75% असन्तुष्ट है। असन्तुष्ट नागरिकों की समस्याओं का निवारण तुरन्त किया जा रहा है।

––––––––––

Exemption

MSME ईकाइयों को 3 वर्ष के लिए पंजीयन/निरीक्षण से छूट

Disposal

प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निस्तारण

Auto Renewal

कारखानों के लाइसेंस का **Auto Renewal**